पत्रावली पेश हुई । रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थी/अपीलांट की अपील पर बिना रेस्पो0/प्रार्थी को नोटिस/सम्मन तामील कराये तथा बिना अधी0न्याया0 का रिकार्ड तलब किये एकतरफा में एडमिशन पर ही दिनांक 9.12.2011 को अप्रार्थी की अपील अंतर्गत धारा 225 राज0काश्त0अधि0 आंशिक स्वीकार कर अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिप्रेषित की गई जबकि अपील दर्ज रजिस्टर होने के बाद रेस्पो0 को नोटिस/सम्मन तामील कराया जाना विधि अनुसार अतिआवयक है एवं बिना तहत न्यायालय का रिकार्ड तलब किये अपील पर निर्णय दिया जाना अविधिक है। इस कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एकतरफा निर्णय दिनांक 9.12.2011 अपास्त किया जावे एवं अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे ।

विद्वान वकील अप्रार्थी का कथन है कि मान0 न्यायालय द्वारा अधी0न्याया0 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 एवं आदेशिका एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन कर निर्णय पारित किया गया है जो विधिसंगत है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

हमनें आदेश 41 नियम 21 का अवलोकन किया जो इस प्रकार है कि :–

Rule 21- Re-hearing on application of respondent against whom ex parte decree made-Where an appeal is heard ex parti and judgment is pronounced against the respondent, he may apply to the Appellate Court to re-hear the appeal, and if he satisfies the Court that ehe notice was not duly served or that he was prevented by sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing, the Court shall re-hear the appeal on such terms as to costs of otherwise as it thinks fit to impose upon him.

अपील संख्या 533/2011 भंवरू खां बनाम हैदर खां में पारित निर्णय दिनाक 9.12.2011 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाजा न्यायालय द्वारा बिना रेस्पो0 को सम्मन/नोटिस तामील कराये एवं बिना अधी0न्याया0 का रिकार्ड तलब किये अपील आंशिक स्वीकार कर अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित की गई है जो आदेश 41 नियम 21 जा0दी0 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने के

कारण न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 533/2011 भंवरू खां बनाम हैदर खां में पारित निर्णय दिनाक 9.12.2011 निरस्त योग्य होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 जा0दी0 स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अतः प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 533/2011 भंवरू खां बनाम हैदर खां में पूर्व पारित निर्णय दिनाक 9.12.2011 को अपास्त किया जाता है तथा अपील संख्या 533/2011 के साथ संलग्न आदेशिका दिनांक 1.1.2011 प्रकरण संख्या 169/2011 अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का अवलोकन किया गया इसी आदेशिका के विरूद्ध अप्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अपील अंतर्गत धारा 225 राज0काश्त0अधि0 पेश की गई है । आदेशिका दिनांक 1.1.2011 निम्न है :–

''दिनांक 1.1.2011–वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस अप्रार्थीगण को जारी होकर पत्रावली दिनांक 15.2.2011 को पेश हो । ''

उपरोक्त आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पर कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया है मात्र अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना आदेश की कोई भी अपील संधारण योग्य नहीं है । जब अधी0न्याया0 द्वारा कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया है तो अपील संख्या 533/2011 संधारण योग्य नहीं पायी जाती है । अतः अपील अपीलांट संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।